T.S. Case No. 09/2022

न्यायालय अवर न्यायाधीश–6, रोहतास, सासाराम।

स्वत्व वाद संख्या – 09/2022
सी.आई.एस. नंबर – 09/2022

सुरेन्द्र प्रसाद वर्मा
बनाम
वीरेन्द्र प्रसाद वर्मा बगैरह

05.08.2024 अभिलेख उभय पक्षों द्वारा दाखिल संयुक्त संधिपत्र दिनांक 21.09.2022 जो शपथ पत्र से समर्थित है, पर सुनवाई के पश्चात् आज आदेश हेतु नियत किया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा यह वाद यह घोषित करने हेतु दाखिल किया गया है कि सर्वे नोईंग कमिश्नर द्वारा जायदाद मुन्दर्जे सिडियूल–क अर्जीदावी से मद मुदई के 1/3 हिस्से का जख्ता एलहदा करा दिया जाय। इस वाद में दिनांक 21.09.2022 को एक संयुक्त संधिपत्र दाखिल किया गया है जो उभय पक्षों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा पहचान किया गया है। संधिपत्र पर कार्यालय प्रधान का प्रतिवेदन है कि संधिपत्र विधिवत है।

सुलह के बिन्दु पर उभय पक्षों की ओर से शपथ पर साक्ष्य दाखिल किया गया है। वादी की ओर से एक मात्र मौखिक साक्षी, वादी साक्षी संख्या–1 सुरेन्द्र प्रसाद वर्मा, स्वयं वादी का शपथ पत्र पर बयान दाखिल किया गया है जिन्होनें अपने शपथ पत्र बयान में फरीकैन के बीच राजी खुशी से बिना किसी दबाव के सुलह होने की बात कहा है। सुलहनामा के आधार पर वादी को मिले हिस्से पर दखल कब्जा में हैं। अतः सुलहनामा के आधार पर वाद को निष्पादित कर दिया जाय। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी उक्त तथ्य का समर्थन किया है। प्रतिवादी की ओर से कुल दो मौखिक साक्षियों, प्रतिवादी साक्षी संख्या–1 महेन्द्र प्रसाद वर्मा एवं प्रतिवादी साक्षी संख्या–2 वीरेन्द्र प्रसाद वर्मा का शपथ पत्र पर बयान दाखिल किया गया है जिन्होनें अपने अपने शपथ पर बयान में आपस में राजी खुशी से बिना किसी दबाव के सुलह होने, अब कोई विवाद नही होने तथा सुलहनामा के आधार पर फैसला का निवेदन किए हैं।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्षों द्वारा दाखिल सुलहनामा दिनांक 21.09.2022 में वादी एवं प्रतिवादीगण को मिले अपने अपने हिस्से पर हकियत एवं दखल कब्जा में हैं। दोनों पक्षों में राजी खुशी से सुलह हो गया है, सुलहनामा दाखिल है। कार्यालय प्रधान के प्रतिवेदनानुसार सुलहनामा विधिवत है और उभय

लगातार.....

T.S. Case No. 09/2022

पक्षों द्वारा प्रस्तुत सभी साक्षियों ने अपने–अपने शपथ पर बयान में राजी खुशी से सुलह होने और कोई विवाद नही होने तथा सुलहनामा के आधार पर वाद को निष्पादित करने का निवेदन किया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए सुलहनामा दिनांक 21.09.2022 के आधार पर वाद को निष्पादित करना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः संधि–पत्र के आधार पर वाद को जयपत्रित किया जाता है। सुलहनामा जयपत्र का अंश होगा। कार्यालय नियमानुसार निर्धारित अवधि के अंदर जयपत्र तैयार करें।

कार्यालय लिपिक नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

(लेखापित)
Sd/-
(शक्तिधर भारती)
अवर न्यायाधीश–6
रोहतास, सासाराम।
05.08.2024